भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 141

उत्तर देने की तारीख- 02/02/2022

अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार-निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय

141. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार-निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत देश के सभी जिलों में मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिदेशित है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों/जिलों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के तहत कितने मामले दर्ज किए गए हैं और ऐसे कितने मामले लंबित है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ख): अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार निवारण) **{**पीओए**}** अधिनियम 1989 की धारा 14 जैसा कि अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, यह निर्दिष्ट करता है कि त्वरित सुनवाई के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष अदालत की स्थापना करेगी। इसके अतिरिक्त उन जिलों में, जहां अधिनियम के तहत मामलों की कम संख्या दर्ज की गई है, राज्य सरकार ऐसे जिलों के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करेगी।

(ग) : केंद्रीय स्तर पर, भारत सरकार (कार्य नियतन) नियम, 1961 के अनुसार, अधिनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम 1955 और पीओए अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध आपराधिक मामलों के लिए जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है और इस संबंध में नवीनतम डेटा एनसीआरबी, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 2018-2020 के दौरान अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरूद्ध किए गए अपराध/अत्याचारों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामलें (सीआर), चार्ज-शीटेड अर्थात् आरोप-पत्र दायर किए गए मामले (सीसीएस), दोष सिद्ध मामले (सीओएन), साल के अंत में विचारण अधीन लंबित मुकदमे (सीपीटी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), चार्ज-शीटेड व्यक्ति (पीसीएस) व दोषी पाए गए कुल व्यक्ति (पीसीवी) क्रमशः **अनुबंध- I और II** में संलग्न हैं।

"अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार-निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय" पर श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वा रा राज्य सभा में दिनांक 02.02.2022 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

2018-2020 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अपराध के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पं जीकृत मामले (सीआर), चार्जशीट वाले मामले (सीसीएस), दोष-सिद्ध मामले (सीओएन), वर्ष के अंत में विचारण अधीन लंबित मामले, (सीपीटीईवाई), गि रफ्तार व्यक्ति (पीएआर), चार्ज शीटिड व्यक्ति (पीसीएस) और दोष-सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018							2019							2020						
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	198	114	5	586	292	289	13	179	82	8	546	141	180	17	179	104	2	599	181	164	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	8	2	0	10	18	3	0	4	0	0	10	1	0	0	11	1	0	8	4	1	0
4	बिहार	198	280	6	14291	359	404	12	4	25	3	14273	93	54	4	1	40	0	14313	0	40	0
5	छत्तीसगढ	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0
6	गोवा	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2	0	0	12	0	0	0
7	गुजरात	105	88	1	1436	213	210	1	121	105	0	1508	204	199	0	68	68	0	1568	119	127	0
8	हरियाणा	49	13	0	32	20	18	0	52	14	1	42	21	21	1	78	18	0	60	30	29	0
9	हिमाचल प्रदेश	93	73	2	312	199	141	3	155	87	4	339	180	170	5	207	145	0	456	266	397	0
10	झारखंड	322	106	19	956	154	177	22	325	90	7	1006	122	208	10	299	118	4	1102	146	154	4
11	कर्नाटक	96	184	38	5271	396	445	41	83	198	20	5043	261	423	38	131	178	3	5000	597	643	7
12	केरल	104	44	0	188	70	75	0	82	53	0	240	82	65	0	70	54	0	288	57	64	0

13	मध्य प्रदेश	12	12	3	166	23	23	5	1	1	0	160	1	1	0	0	2	0	162	2	2	0
14	महाराष्ट्र	167	135	5	1471	258	214	7	217	151	5	1527	314	282	7	210	178	2	1676	308	302	8
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	31	16	0	2930	34	34	0	41	43	0	2973	43	43	0	0	0	0	2973	0	0	0
20	पंजाब	32	18	0	32	47	29	0	36	11	0	42	57	34	0	46	24	1	60	55	36	3
21	राजस्थान	117	36	6	1373	43	44	13	135	36	11	1335	42	42	15	122	35	12	1343	53	55	29
22	सिक्किम	3	1	0	1	1	1	0	2	1	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	76	57	14	1464	151	97	21	84	55	0	1383	297	194	0	36	14	6	1363	53	19	8
24	तेलंगाना	170	133	1	453	176	219	3	145	115	6	506	209	179	9	117	124	3	488	155	217	7
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	2369	1969	287	12214	4134	4419	1101	2378	2026	357	11357	4428	5200	866	2576	1753	595	12450	4992	7230	1213
27	उत्तराखंड	16	18	0	58	38	37	0	25	22	2	77	36	41	2	54	33	0	110	46	46	0
28	पश्चिम बंगाल	19	12	0	136	5	18	0	34	19	0	150	7	30	0	23	24	0	174	12	30	0
	कुल राज्य	**4186**	**3311**	**388**	**43393**	**6631**	**6897**	**1243**	**4105**	**3135**	**424**	**42531**	**6542**	**7369**	**974**	**4232**	**2914**	**628**	**44207**	**7077**	**9557**	**1282**

29	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	2	0	0
31	दादर एवं नागर औ र दमन और दीव	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
32	दिल्ली	25	18	0	157	41	32	0	33	22	0	172	28	36	0	38	35	0	205	19	60	0
33	जम्मू और कश्मीर*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**26**	**18**	**0**	**163**	**41**	**32**	**0**	**39**	**22**	**0**	**179**	**28**	**36**	**0**	**41**	**35**	**0**	**212**	**22**	**60**	**0**
	कुल (संपूर्ण भारत)	**4212**	**3329**	**388**	**43556**	**6672**	**6929**	**1243**	**4144**	**3157**	**424**	**42710**	**6570**	**7405**	**974**	**4273**	**2949**	**628**	**44419**	**7099**	**9617**	**1282**

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: '+' 2018 और 2019 के दौरान तत्कालीन दादर एवं नागर यूटी और दमन और दीव यूटी का संयुक्त डेटा

*' 2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

"अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार-निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय" पर श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा राज्य सभा में दिनांक 02.02.2022 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

2018-2020 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), चार्जशीट वाले मामले (सीसीएस), दोष-सिद्ध मामले (सीओएन), वर्ष के अंत में विचारण (ट्रायल) अधीन लंबित मामले, (सीपीटीईवाई), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), चार्ज शीटिड व्यक्ति (पीसीएस) और दोष-सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018							2019							2020						
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	26	13	0	112	29	20	0	18	5	0	107	33	26	0	20	13	0	112	22	17	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	3	1	0	3	1	1	0	3	1	0	4	2	1	0	4	0	0	4	0	0	0
4	बिहार	0	1	0	241	1	1	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0
5	छत्तीसगढ	2	2	0	19	5	5	0	0	0	1	18	0	0	4	1	2	0	20	23	23	0
6	गोवा	2	2	0	9	0	2	0	1	1	0	9	0	1	0	1	1	0	10	0	2	0
7	गुजरात	12	8	0	514	13	13	0	11	10	0	524	25	25	0	2	1	0	525	1	1	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	15	1	1	0	1	1	0	16	1	1	0	2	1	0	17	2	1	0
10	झारखंड	142	34	2	448	78	63	4	203	192	5	616	167	226	5	180	17	1	625	20	21	1
11	कर्नाटक	19	56	0	1052	90	140	0	11	19	2	936	34	35	4	22	27	1	934	59	64	8
12	केरल	12	17	0	30	33	21	0	12	5	0	30	14	7	0	11	4	0	32	4	4	0
13	मध्य प्रदेश	1	0	0	67	0	0	0	2	2	0	68	2	2	0	2	1	0	65	0	4	0

14	महाराष्ट्र	19	22	0	420	32	31	0	53	18	0	422	43	30	0	24	35	0	444	25	41	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	5	3	0	1090	2	3	0	0	0	0	1090	0	0	0	19	19	0	1109	19	19	0
20	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	1	0
21	राजस्थान	22	8	1	240	19	19	3	38	13	0	253	34	34	0	29	10	0	258	19	20	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	2	1	0	20	6	5	0	3	2	0	19	6	6	0	5	3	0	22	18	5	0
24	तेलंगाना	36	22	0	101	35	47	0	36	22	0	100	55	47	0	28	26	0	121	37	55	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश$	14	11	1	65	35	35	7	16	15	0	35	0	43	0	2	2	0	37	8	8	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	25	11	0	86	16	18	0	18	9	0	94	1	14	0	23	12	0	105	6	16	0
	कुल राज्य	**343**	**213**	**4**	**4532**	**396**	**425**	**14**	**428**	**317**	**8**	**4584**	**417**	**501**	**13**	**378**	**175**	**2**	**4684**	**266**	**302**	**9**

29	अंडमान और निकोबार	1	1	0	2	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादर एवं नागर और दमन और दीव	3	3	0	6	0	20	0	0	1	0	6	8	6	0	0	1	0	7	8	6	0
32	दिल्ली	0	1	0	4	2	1	0	2	0	0	4	0	0	0	1	3	0	7	4	6	0
33	जम्मू और कश्मीर*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख														0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**4**	**5**	**0**	**12**	**2**	**22**	**0**	**4**	**1**	**0**	**12**	**8**	**6**	**0**	**1**	**5**	**0**	**17**	**12**	**13**	**0**
	कुल (संपूर्ण भारत)	**347**	**218**	**4**	**4544**	**398**	**447**	**14**	**432**	**318**	**8**	**4596**	**425**	**507**	**13**	**379**	**180**	**2**	**4701**	**278**	**315**	**9**

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: '+' 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादर एवं नागर हवेली यूटी और दमन और दीव यूटी का संयुक्त डेटा

*' 2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

$ 2019 के लिए संशोधित आंकड़े उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 2021 में प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से वर्ष 2019 के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध/अत्याचार के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

*****